

02/01/19

प्रार्थी द्वारा जरिमे वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.  
सी. का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी  
हेतु नोटिस जारी होकर गिराल दिनांक 22.1.19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
बाप (जोधपुर)

22/01/19

पक्षावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर।  
वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश  
9 (E) CPC का स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन  
किया/प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया।  
जहाँ अवलोकन पामागमा कि न्यायादेश में  
प्रार्थी वकील का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना  
न्यायोचित है। अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थनापत्र  
अन्तर्गत आदेश 9 (E) CPC का स्वीकार कर  
सुन 484/2013 पुनः नम्बर पर लिखे जाने का  
आदेश दिया जाता है। मिशन फुल सुमार  
हाजर मूलवाद के साथ नवी है।

सहायक कलेक्टर  
बाप (जोधपुर)